न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2023/211 दिनांक 20/01/2023

प्रार्थीगण :-

1. अखाराम 2.वगताराम 3.हेमाराम पि. जगरूपाराम 4.अणसी पत्नि जगरूपाराम 5.कानाराम पुत्र जगरूपाराम,जाति दर्जी निवासी खारिया डेर (बीजराड़) तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

1.सुरताराम 2.भेराराम पि.जेठाराम 3.खेताराम पुत्र मघाराम, 4.जगमालराम पुत्र लिछमणाराम 5.खेताराम पुत्र टीकमाराम, जातियान दर्जी 6.जीयाराम 7.भेराराम पि.जुगताराम 8.विरधाराम पुत्र लाला के का.मु. :– 8/1.भगवानाराम 8/2.कंवराराम 9.रूखमणा पुत्र सिरामा, जातियान जाट, निवासी खारिया डेर (बीजराड़) , तहसील चौहटन 10.तहसीलदार चौहटन

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम</u>

<u>वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |</u>

राजस्व आवेदन सं. 117/2022 दिनांक : **17.01.2023**

<u>आदेश</u>

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बीजराड़ के मौजा खारिया डेर के खेत खसरा सं. 586/421 रकबा 0.6475 हैक्टेयर, खसरा सं. 588/421 रकबा 0.9389 हैक्टेयर, खसरा सं. 593/425 रकबा 1.5540 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे |

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2023/212 to 215 दिनांक 20/01/2023

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण अखाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण सुरताराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:39:53 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन